

चार संस्थाओं को ईपीएफ के प्रबंधन का जिम्मा

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के खातों में जमा लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक के अलावा तीन अन्य वित्तीय संस्थानों को देने का फैसला किया गया है। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की गुरुवार को बैठक हुई। इसमें ICICI Securities, Reliance capital और HSBC एसेट मैनेजमेन्ट कंपनी को भी नियुक्त किया गया। SBI पिछले चार महीने से इस कोष के प्रबंधन का काम कर रहा है और इसकी सेवा आगे भी जारी रखने का फैसला किया गया।

बैठक की अध्यक्षता करने के बाद श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि सरकार इल संस्थानों के प्रदर्शन पर लगातार नजर रखेगी। वैसे यह नियुक्ति तीन वर्षों के लिए हुई है, लेकिन एक वर्ष बाद इनके कामकाज समीक्षा की जाएगी। दस वित्तीय संस्थानों ने इस बारे में आवेदन किया था। शुरुआती तौर पर उक्त चारों नामों के अलावा आइसीआइसीआइ प्रूडेंशिएल को भी फंड प्रबंधक के तौर पर चुना गया था। लेकिन बाद में सिर्फ चार नामों पर ही सहमति बन सकी। माना जा रहा है कि बोर्ड के कई सदस्य एक ही समूह की दो कंपनियों को फंड प्रबंधन की जिम्मेदारी देने के खिलाफ थे।

सूत्रों ने बताया कि आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज ने तीन पैसे प्रति 10 हजार रुपये सालाना के शुल्क पर अपनी सेवा देने का प्रस्ताव किया था। रिलायंस कैपिटल ने 4 पैसे एचएसबीसी ने 36 पैसे और एसबीआई ने एक रुपये का प्रस्ताव किया था। यह दूसरा मौका है जब सरकार ने चार फंड प्रबंधकों की नियुक्ति इस कार्य के लिए की है। इसके पहले भी वर्ष 2008 में एसबीआई सहित चार वित्तीय संस्थानों को यह जिम्मेदारी दी गई थी। इनका कार्यकाल 31 मार्च 2011 को समाप्त हो गया था। वर्ष 2008 तक भविष्य निधि के कोष के निवेश की जिम्मेदारी एसबीआई की थी। लेकिन तब सरकार ने बेहतर रिटर्न का तर्क देते हुए निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को भी इसकी अनुमति दी थी।

(साभार—जागरण ब्यूरो)

-----x-----

अब, ई पी एफ में जमा मजदूरों की लगभग 4 लाख करोड़ रूपयों की राशि का उपयोग निजी कम्पनियां करेंगी। उन्हें भ्रामक शब्दावली में "फंड मैनेजर" का नाम दिया गया है।

(रिमार्क—हमारा)

